51

प्रपत्र -23

परियोजना का नाम:– जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- प्रत्र

ग्राम पंचायत का नाम- बष्टी

तहसील - ऊखीमठ , जिला - रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में ***जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।*** राज्य वन भूमि 0.650 है. अर्थात कुल 0.650 है० वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बष्टी** द्वारा दिनांक 15/2/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में लो.नि.वि. द्वारा आवेदित वन भूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बष्टी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त परियोजना हेतु लो.नि.वि. को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत गैड़
वि०ख० ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)
15-2-2015

ग्राम प्रधान

52

प्रपत्र - 23.1

परियोजना का नामः– जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक..................को ग्राम / सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - बष्टी

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री- बलवीर सिंह	Balbir
2	श्र- विजयासिंह	विजयसिंह
3	श्री- विमलादेवी	विमला देवी
4	" सरितादेवी	सरिता देवी
5	राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी देवी
6	कीरती देवी	कीरती देवी
7		
8		
9		
10		

प्रधान ग्राम पंचायत गैड़ ह० सरितादेवी दि० 15-2-2015 वि०ख० ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

ग्राम प्रधान

(53)

प्रपत्र–23.2

परि.योजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,- ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण- पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, - ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ***जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।*** पंचायती वन भूमि 0.650 है. अर्थात कुल (0.650) है. वन भूमि का लो.नि.वि. के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -ऊखीमठ) की दिनांक 8/05/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री--उत्तम सिंह चौहान--उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री उत्तमसिंह चौहान ----उपजिलाधिकारी---- ऊखीमठ ----अध्यक्ष
2- श्री [illegible] ----उप प्रभागीय वनाधिकारी---- [illegible] ----सदस्य
3- श्री [illegible] ----सहायक समाज कल्याण अधिकारी---- [illegible] ----सदस्य/सचिव
4- श्रीमती [illegible] देवी ------बी.डी.सी. क्षेत्र---- गैड़ [illegible] ----सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ***जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बष्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।*** परियोजना हेतु (0.650) है. राज्य वन भूमि का लो.नि.वि के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी,--------[illegible]-------- द्वारा अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्सम्बंधी नियम 2008 को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा चुकी है अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

8/5/15

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड़ - ऊखीमठ परिक्षेत्र के ***जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में राज्य योजना के अन्तर्गत गैड़ से बण्टी-गड़गू मोटर मार्ग का नव निर्माण।*** हेतु **(0.650) है.** राज्य वनभूमि का लो.नि.वि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1.

2.

3. बी.डी.सी. सदस्य--

श्रीमती संगीता देवी
सदस्य
क्षे० पं० गैड़, गडगू
वि० ख० ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक खण्ड विकास अधिकारी-क्रिति
विकास खण्ड ऊखीमठ

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रूद्रप्रयाग

No- R-15/ST-विविध/2015 दि० 08/05/2015

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ
जनपद - रूद्रप्रयाग

ANNEXURE..................

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.S

A meeting of the district level committee of ***Rudraprayag*** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ***Mr. Dr. Raghav Langar*** District Magistrate ***Rudraprayag*** on date 24/6/15. at time 2:00. P.M at ***Rudraprayag*** in which application claiming rights in ***Forest*** area measuring ***0.650 hect*** for Transfer of ***Gaid to Basti-Gadgu Motor Road under Sate sector*** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition 35 level committee of ***S.D.M.*** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 24.6.15

Raghav
(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

(58)

Form-I

(For linear projects)

Government of uttarakhand

Office of the District collector- Rudraprayag

No. 80 Dated. 24/6/15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ***(0.650) hectares*** of forest land proposed to be diverted in favour of ***Construction Division, P.W.D. Ukhimath Rudraprayag (name of user agency) for Construction of gaiu to basti-gadgu Motor Road.*** (purpose for diversion of forst land) in ***Rudraprayag - district falls within jurisdiction of basti*** villages in ***Ukhimath tehsil***

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ***(0.650) Hectares*** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sahha(s), Sub-Division Level Commttee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure 1and annexure 2.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre-agricultural communities.

Encl As above.

Signature

जिला अधिकारी

रुद्रप्रयाग

(Full name and official seal of the District collector)